उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5

अधिसूचना

संख्या– 8596 / नौ–5–2013–83सा / 2009
लखनऊ : दिनांक : 27 जनवरी, 2014

भारत का संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली, 2013 कही जायेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.	(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में :– (क) ''समिति'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन गठित उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबन्ध समिति से है ; (ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य समिति के अध्यक्ष से है ; (ग) ''निदेशालय'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित नगरीय परिवहन निदेशालय से है; (घ) ''निधि'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि से है; (ड.) ''स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से है; (च) 'सदस्य' का तात्पर्य समिति के सदस्य से है; (छ) ''परिवहन'' का तात्पर्य जनता हेतु राज्य या समुदाय या स्थानीय निकाय या निजी भागेदारी द्वारा उपलब्ध कराई गई बस या वाहन या अन्य सम्बन्धित सेवाओं से है; (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं;
समर्पित नगरीय परिवहन निधि का सृजन	3.	नगरीय परिवहन क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए राज्य स्तर पर समर्पित नगरीय परिवहन निधि का सृजन किया जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि के रूप में जाना जायेगा।

निधि प्रबंध समिति	4.	'उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि' का प्रबंधन प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन — अध्यक्ष (दो) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य (तीन) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य (चार) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य (पाँच) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य (छः) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य सचिव
समिति के कृत्य	5.	समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, – (क) शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना; (ख) निधि की प्रगति एवं समुचित उपयोग का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना; (ग) नगरीय परिवहन तन्त्र की सहायता और गुणवत्तापरक सेवाओं की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए संसाधनों के सृजन के सम्बन्ध में सुझाव और संस्तुतियॉ देना; (घ) नगरीय परिवहन सेवाओं के विकास के लिए उधार लेना, बन्ध पत्र और डिवेंचर जारी करना तथा अन्य स्रोतों के सम्बन्ध में सुझाव और संस्तुतियॉ देना; (च) नगरीय परिवहन की सम्भावनाओं का पता लगाने और नगरीय परिवहन बाह्य सहायता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना; (छ) वित्त पोषण के लिए रूपात्मकता का पता लगाना और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; (ज) नगरीय परिवहन कियाकलापों के लिये निधि से राशि आवंटित करना; (झ) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें जाय।
समिति की बैठक	6	(1) समिति की बैठक, कलैंडर वर्ष के एक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर, ऐसे दिनांक को, और ऐसे समय पर आहूत की जायेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाय। (2) समिति का अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, समिति की बैठक बुला सकता है । (3) समिति अपनी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी।

निधि/निधिकरण के स्रोत	7.	निधि में धन का हस्तान्तरण ऐसे स्रोतों से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय।
निधि का संचालन	8.	(1) निधि का संचालन तथा प्रबंधन नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा किया जायेगा। (2) निधि एक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखा जायेगा और निदेशालय के निदेशक तथा वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।
निधि का उपयोग	9.	निधि का उपयोग प्रबंध समिति के निदेश के अनुसार किया जायेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उद्देश्य भी सम्मिलित हो सकते हैं :– (एक) समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारित विभिन्न राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के अधीन संस्तुत/अनुमोदित अवसंरचना सहित नगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए क्षमता अन्तर का वित्त पोषण; (दो) विभिन्न विशेष परियोजनार्थ वाहन और नगरीय परिवहन परियोजनाओं पर कार्य कर रही राज्य की संस्थाओं को वित्तीय समर्थन; (तीन) नगरीय परिवहन से सम्बन्धित अध्ययनों का आयोजन; (चार) विभिन्न क्रियाकलापों और अध्ययन के लिये परामर्शदाताओं को आबद्ध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यय; (पाँच) भवन निर्माण क्षमता, अभिन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें नगरीय परिवहन पर संगोष्ठी, सम्मेलन भी सम्मिलित है, का आयोजन।
लेखा एवं लेखा परीक्षा	10.	(1) निदेशालय समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख–रखाव करेगा और निधि का एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करायेगा। (2) लेखापरीक्षा, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सुसंगत लेखा–परीक्षा नियमावली के अधीन किया जायेगा।
वार्षिक प्रतिवेदन	11.	निदेशालय कैलेण्डर वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
उपयोगिता प्रमाण पत्र	12.	लाभार्थियों द्वारा नियत समय के भीतर निधि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

(सी0बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Nagar Vikas **Anubhag-5**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 8596 /IX-5-2013-83sa/2009, dated 27 January, 2013 for general information.

NOTIFICATION

No. 8596 /IX-5-2013-83sa/2009
Lucknow: Dated: 27 January, 2014

In exercise of the powers under clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules.

THE UTTAR PRADESH DEDICATED URBAN TRANSPORT FUND RULES, 2013

Short title, extent and Commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Dedicated Urban Transport Fund Rules, 2013. (2) They extend to the whole of the State of Uttar Pradesh. (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Definitions	2.	(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :- (a) "Committee" means the Uttar Pradesh Dedicated Urban Transport Fund Management Committee constituted under these rules; (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Committee; (c) "Directorate" means the Urban Transport Directorate established by the State Government; (d) "Fund" means the Uttar Pradesh Dedicated Urban Transport Fund created under these rules; (e) "Local Body" means the Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat in Uttar Pradesh; (f) "Member" means the member of the Committee; (g) "Transport" means the bus or vehicle or other related services provided by the State or community or local body or private partner for the public. (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts.

Creation of Dedicated Urban Transport Fund	3.	There shall be created a Dedicated Urban Transport Fund at the State level to be known as the 'Uttar Pradesh Dedicated Urban Transport Fund' to fund urban transport activities.
Fund Management Committee	4.	The Uttar Pradesh Dedicated Urban Transport Fund shall be managed by the Management Committee consisting, - (i) the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh — Chairperson (ii) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Finance Department — Member (iii) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Planning Department — Member (iv) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Transport Department — Member (v) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Housing and Urban Planning Department — Member (vi) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Urban Development Department. — Member Secretary
Functions of the Committee	5.	The functions of the Committee shall be,- (a) to determine policies, programs and priorities regarding public transport in the urban areas; (b) to monitor, evaluate and review the progress and proper utilization of the Fund; (c) to make suggestions and recommendations regarding generation of resources to support urban transport system and augmentation and maintenance of quality services; (d) to make suggestions and recommendations regarding raising of loans, floating of bonds and debentures and other resources for development of urban transport services; (e) to explore possibilities and encourage the outsourcing of urban transport; (f) to work out modalities for funding the Fund and to submit the same to the State Government for approval; (g) to allocate amounts from the Fund for urban transport activities; (h) any other functions which may be assigned to it by the State Government.

Meeting of the Committee	6.	(1) The meetings of the Committee shall be held at least once in a quarter of calender year at such place, on such date and at such time as may be fixed by the Chairperson. (2) The Chairperson of the Committee may, whenever he/she thinks fit, call a meeting of the Committee. (3) The Committee may co-opt experts in any of its meeting.
Sources of Funds/ Funding	7.	The money shall be transferred to the Fund from such sources as decided by the State Government from time to time.
Operation of the Fund	8.	(1) Operation and management of the Fund shall be done by the Urban Transport Directorate. (2) Fund shall be kept in a nationalized bank account and operated jointly by Director and finance controllers of the Directorate.
Utilization of the Fund.	9.	The Fund Shall be utilized in accordance with the direction of the Management Committee which, inter alia, may also include the following purposes :- (i) Viability gap funding for urban transport projects including infrastructure etc recommended/ approved under various State/Central schemes duly considered by the Committee; (ii) Financial support to various Special Purpose Vehicles and institutions of the State, implementing urban transport projects; (iii) Conducting Studies pertaining to urban transport; (iv) Expenses involved in hiring of consultants for various activities and studies. (v) Organizing capacity building, orientation and training programs which may include seminars, conferences on Urban Transport.
Account and Audit	10.	(1) The Directorate shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of the fund. (2) Audit shall be done by the Auditor General, Uttar Pradesh as provided under relevant audit rules.
Annual Report	11.	The Directorate shall prepare the Annual Report of its activities during the calender year and copies thereof shall be forwarded to the State Government.
Utilization certificate	12.	It shall be mandatory to submit utilization certificate of the utilization of fund to the Directorate by the beneficiaries within stipulated time.

By Order

(C.B. Paliwal)
Pramukh Sachiv